बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

[शिक्षा विभाग - उच्च शिक्षा विभाग - खान एवं भूतत्व विभाग - मध् निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग - पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - समाज कल्याण विभाग - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - परिवहन विभाग - विज्ञान ,प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग - कला एवं संस्कृति विभाग - खेल विभाग - युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 10

वेतन एवं अन्य सुविधा देना

*38 **श्री अजय कुमार (138) (विभूतिपुर):**

शिक्षा विभाग :-

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-18.01.2026 के अंक में प्रकाषित शीर्षक "नियोजित से राज्यकर्मी बने 12000 शिक्षकों को शहरी एचआरए नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हजारों शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के एचआरए का लाभ नहीं मिल रहा है; जबकि बिहार गजट में शहरी क्षेत्र में 10% और ग्रामीण क्षेत्र में 5% से 7.5% एचआरए देने का प्रावधान है;

2. क्या यह बात सही है कि अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता (एचआरए) के भुगतान किये जाने से एक ही विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों, विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विद्यालय अध्यापकों और नियोजित शिक्षकों के वेतन में विसंगति के कारण उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के एचआरए एवं समान कार्य के आधार पर वेतन एवं अन्य सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*39 **श्री राहुल कुमार** (216) (**जहानाबाद**)ः

शिक्षा विभाग क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000_नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?

मध्याहन भोजन

*40 **श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता** (75) (**सहरसा**)ः

शिक्षा विभाग :-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में मध्याहन भोजन कलस्टर किचन के माध्यम से सुबह का बना खाना विद्यालयों में 12:00 बजे मध्यान से लेकर 2:30 बजे अप० तक प्रदान किया जाता है, जिससे राज्य के लाखों छात्र ठंडा एवं गुणवताहीन खाना खाने को मजबूर होते है;
2. क्या यह बात सही है कि पिछले छः माह पूर्व ही मध्यान भोजन बनाने वाले रसोइयों को मान-देय बढ़ाया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक राज्य के विद्यालयों में बच्चों के लिए खाना विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत ही बनाने का विचार रखती है , नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर बहाली

*41 **श्री देवेशकान्त सिंह** (111) (**गोरेयाकोठी**)ः

शिक्षा विभाग :-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय कार्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 तथा बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग के नियमावली के आलोक में नियुक्ति नही होने के कारण लगभग तीन हजार पद रिक्त है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त पदों पर बहाली कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

*42 **श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर):**

शिक्षा विभाग :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में मूक-बधिर और नेत्रहीन छात्र/छात्राओं की स्कूलों में पढ़ाई हेतु लंबे समय से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गई है जबकि विगत 20 वर्षों से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं;

2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 पद सृजित किए है, जिनमें से 805 पदों को वर्तमान में कार्यरत अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षकों हेतु सुरक्षित रखा गया है;

3 . यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व से कार्यरत 805 विशेष शिक्षकों को प्रखंड साधन सेवी के पद पर समायोजित करते हुए सामान्य शिक्षक के समतुल्य वेतनमान एवं शेष 7279 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

शिक्षा ऋण

*43 **श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

शिक्षा विभाग दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 19.01.2026 के अंक में प्रकाशित " शिक्षा ऋण नहीं मिलने से 5 हजार विद्यार्थियों का नाम कटने का खतरा" शीर्षक को ध्यान मे रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत राज्य के 5 हजार 254 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित नहीं हुई है जिससे छात्र छात्राओं का शैक्षणिक संस्थानों से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है; यदि हाँ तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के खाते में बिहार राज्य शिक्षा वित निगम द्वारा स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं तो क्यों?

कार्य योजना बनाना

*44 **डॉ. कुमार पुष्पंजय (170) (बरबीघा):**

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग :-

दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 14.01.2026 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार के छोटे शहरों की हवा ज्यादा जहरीली'' के आलोक में क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा आईआईटी, बीएचयू से कराये गए अध्ययन के रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के छोटे शहरों में हवा लगातार प्रदूषित रह रही है, प्रदेश के दस शहरों की हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है;

2. क्या यह बात सही है कि बिहार के शहरों के खुले नालों से निकलने वाले अमोनियम गैस से वायु में पीएम 2.5 बन रही है जो हवा को प्रदूषित करती है जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो प्रदेश के छोटे शहरों की जहरीली हवा के शुद्धिकरण की कार्य

योजना को सरकार कबतक लागू करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

समितियों का गठन

*45 **श्री सिद्धार्थ सौरव** (191) (**बिक्रम**):

शिक्षा विभाग क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखण्ड बिक्रम एवं नौबतपुर सहित पूरे राज्य के 7800 (सात हजार आठ सौ) विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन नहीं होने से प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों में प्रबंध समितियों का गठन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

छात्रवृत्ति देना

*46 **श्री राणा रणधीर** (18) (**मधुबन**):

शिक्षा विभाग :-

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 28.01.2026 को प्रकाशित "सत्यापन में देरी से 5.5 लाख की छात्रवृति पर ग्रहण" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई ना छोड़नी पड़े इसके लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना चलाई जा रही है;

2. क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक सुस्ती के कारण सत्र 2024-25 और 2025-26 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्तियोजना के लिए आवेदन करने वाले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 5.5 लाख विद्यार्थियों को राशि मिलने का इंतजार है;

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सत्र के लिए किये गये आवेदनों का सत्यापन कर एक समय सीमा के अन्दर छात्रवृत्ति का लाभ देने का विचार रखती है, हां तो कब तक?

विचार करना

*47 **श्री मिथिलेश तिवारी** (99) (**बैकुण्ठपुर**):

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग :-

क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि सन 2016 में बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा स्वीकृति के उपरांत 96 आई० टी० आई० संस्थानों में नियमित नियुक्ति के शर्तों के अनुरूप लगभग 600 अतिथि अनुदेशको की नियुक्ति की गई है;

2. क्या यह बात सही है कि अतिथि शिक्षकों की संचिका संख्या 197/2024 वि प्र० 303(5) दिनांक 22/05/2025 के द्वारा नियमित शिक्षकों की भांति 60 वर्षों की आयु तक सेवा विस्तार का निर्णय लिया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों की वेतन वृद्धि करते नियमित सेवा में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?